न्यायालय श्री ए0एच0 गौरी, आर0ए0एस0, कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

अपील संख्या 4/2018

श्रीमति पदमा शर्मा पत्नी लोकनाथ शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी 53 चाणक्यनगर नई शिवबाडी रोड बीकानेर जिला बीकानेर

—— अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमान आयुक्त क्षेत्रीय विकास, बीकानेर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार उपनिवेशन तहसील गजनेर मुकाम कोलायत

——रेस्पोन्डेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति अभिभाषक :–

1. श्री रामचंद्र सिंह , अभिभाषक, अपीलान्टा
2. श्री जुगल किशोर पुरोहित पैरोकारराज

–: निर्णय :–

दिनांक :– 16–07–2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार उपनिवेशन, कोलायत–1 हाल उपनिवेशन तहसील, गजनेर मुकाम कोलायत की आज्ञा आदेश इन्तकाल संख्या 332 दिनांक 9–11–2005 के विरूद्व निरस्त करने हेतू दिनांक 12–2–2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

(2) संक्षेप में अपीलमीमो के निस्तारणार्थ आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाप्ट व अन्य रेस्पोडेन्ट को सबूत व सुनवायी का का अवसर दिये बिना इकतरफा तौर पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन्तकाल संख्या 332 दिनांक 9–11–2005 स्वीकार किया गया जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) आराजी मुतनाजा ग्राम डाईयां के खसरानं0 67/1 मे 44 बीघा भूमि कमलजीत, मनीन्द्र, सुमनदीप पुत्रीयां परमजीत सिंह सन्धू जाति जट सिख निवासी पुरानी आबादी श्री गंगानगर के नाम बतौर खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं तथा जो अपीलान्टा ने जरिये पंजीबद्व बैयनामा अपीलाण्टा का खरीदशुदा खातेदारी भूमि हैं तथा मौके पर अपीलान्टा का कब्जा काश्त निरनतर चला आ रहा हैं।

(4). ग्राम डाईयां की रोही मे से शोभासर माईनर नहर निर्मित हैं जो खसरा नंबर 68/1/2 तथा खसरा नंबर 65/1 की भूमि मे

Scanned by CamScanner

बनी हुई हैं तथा अपीलान्टा की भूमि खसरा नंबर 67/1 मे किसी प्रकार की नहर बनी हुई नही हैं। फिर भी नामान्तरकरण सं0 332 दिनांक 9.11.2005 से अपीलान्टा की भूमि मे से 19.17 बीघा भूमि गैर मुमकिन नहर के नाम से अंकित कर दी गई जिससे जैर अपील नामान्तरकरण कानून एवं विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य हैं।

(5) जैर अपील इंतकाल सं0 332 दिनांक 9.11.2005 ग्राम डाईया स्वीकृत करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कभी भी अपीलान्टा को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर नही दिया और न ही किसी प्रकार का नोटिस दिया। तमाम कार्यवाही सरासर एकतरफा बाला–बाला तौर पर ही की गई हैं। अतः जैर अपील इन्तकाल निरस्त किये जाने योग्य हैं। तहसीलदार उपनिवेशन कोलायत न0– 1 ने अपीलान्टा को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया। दिनांक 2.2.18 को अपीलान्टा किसान क्रैडिट बनाने के लिए राजस्व रिकार्ड की नकले लेने हल्का पटवारी के पास गई तो इन्तकाल सं0 332 के गलत भरे जाने की जानकारी हुई। उसी दिन नकल लेने हेतु आवेदन दे दिया।

इन्तकाल सं0 332 ग्राम डाईया स्वीकार करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना लिगल माईण्ड इस्तेमाल नही किया हैं जिससे इन्तकाल कानून व विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य हैं। अतः अपील अपीलाण्टा प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि इन्तकाल सं0 332 दिनांक 9.11.2005 ग्राम डाईयां निरस्त किया जाकर अपील मंजूर फरमाई जावें।

इस अपील के नोटिस भिजवाये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1व 2 की ओर से पैरोकारराज उपस्थित आए। अपीलान्टा की ओर से श्री रामचन्द्र सिंह भाटी एडवोकेट उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख इन्तकाल संख्या 332/9.11.05 ग्राम डाईयां मंगवाई जाकर पत्रावली के साथ संलग्न करवाया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील अपीलान्ट द्वारा अपीलमीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा प्रथम जानकारी दिनांक 2.2.18 से अपील मियाद अन्दर मानने का निवेदन किया। जिसका खण्डन नही किया गया हैं ऐसे मे मियाद के प्रश्न पर हम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील मे हुई देरी को क्षमा कर अपील अंदर मियाद शुमार की स्वीकार की जाती हैं।

Scanned by CamScanner

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 332 दिनांक 09–01–2005 कमलजीत, मनिन्द्र, सुगनदीप पुत्रियां परमजीतसिंह जाति जटसिख के नाम से दर्ज है। उक्त नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 7 में यह प्रविष्टि अंकित है। इस प्रकार अपीलान्ट के रिकार्ड खातेदार होने के संबंध में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है ना ही अपीलान्ट ने कोई विक्रय पत्र प्रस्तुत किया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलान्ट प्रश्नगत भूमि की खातेदार काश्तकार है। इसके अलावा नामान्तरकरण संख्या 332 के कॉलम संख्या 16 के अनुसार ये नामान्तरकरण श्रीमान सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेशांक : 5723 दिनांक 06–09–2005 व तहसील के पत्रांक : 4146 दिनांक 19–09–2005 की पालना में दर्ज किया गया है। उक्त दोनों ही आदेशों के विरूद्ध ना तो अपील पेश की गई है तथा ना ही ये आदेश प्रस्तुत किये गये है जिससे स्पष्ट है कि उक्त अपील मूल आदेश सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के विरूद्ध प्रस्तुत नहीं होने के कारण खारिज योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16–07–2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए0एच0गौरी)
उपायुक्त उपनिवेशन
बीकानेर

Scanned by CamScanner